न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.
बईजलास पीठासीन अधिकारी श्री हॅसमुख कुमार आर.ए.एस.

रा.प्रा.पत्र संख्या 106 / 2018

प्रार्थी — बनाम — अप्रार्थीगण

श्री प्रहलादराम पुत्र प्रेमारामजी जाति पुरोहित
आयु 71 वर्ष निवासी बावली पोस्ट नवारा
तहसील व जिला सिरोही

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार
सिरोही तहसील व जिला सिरोही

उपस्थित :–
1– प्रार्थी की ओर से वकील श्री प्रकाश प्रजापत
2– अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार, सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार (ना.तह.सिरोही)

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत
वास्ते राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राजात दुरूस्ती करवाने हेतु

निर्णय — दिनांक 3–7–2019

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी इस न्यायालय मे दिनांक 6–11–2018 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि मौजा बावली पटवार हल्का नवारा तहसील सिरोही जिला सिरोही मे निम्नानुसार वर्णित कृषि आराजी स्थित है :–

खाता नंबर नया	खसरा नंबर नया	किस्म	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
7	548	बारानी I	1.0500
	549	चाही 3	1.1100
	550	चाही 3	2.0400
	551	चाही 3	0.5100
	557	बारानी I	0.4100
	558	गै.मु.चाह	0.1000
	559	बारानी I	0.6400
	560	बारानी I	0.6400
	561	बारानी I	1.2800

कुल खसरा 9 कुल क्षैत्रफल 7.7800 हेक्टेयर

खाता नंबर नया	खसरा नंबर नया	किस्म	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
137	58	बारानी I	1.3400
	59	बारानी I	1.3500
	60	बारानी I	0.3800
	61	बारानी I	0.3000
	62	बारानी I	1.4500

कुल खसरा 5 कुल क्षैत्रफल 4.8200 हैक्टेयर

उपरोक्त वर्णित कृषि आराजी भाग–क नये खाता संख्या 7 के खसरा नंबर 548, 549, 550, 551, 557, 558, 559, 560 एवं 561 एवं भाग–ख नये खाता संख्या 137 के खसरा नंबर 58, 59, 60, 61 एवं 62 प्रार्थी के कब्जा काश्त व संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि है जिस पर प्रार्थी काश्त कर अपना गुजारा चलाता है। उक्त वर्णित भाग–क के खाता संख्या 7 की कृषि आराज की वर्तमान जमाबंदी व अन्य राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी (काश्तकार) के नाम के कॉलम मे प्रार्थी का नाम "पेखाराम पुत्र प्रेमाजी पुरोहित" एवं भाग–ख के खाता संख्या 137 की कृषि आराजी की वर्तमान जमाबंदी मे "पेरवा पि.प्रेमा" अंकित हे जबकि प्रार्थी का सही, वास्तविक व सम्मानजनक नाम "प्रहलादराम पुत्र प्रेमारामजी जाति पुरोहित "निवासी बावली तहसील व जिला सिरोही है। उपर वर्णित भाग–क के खाता संख्या 7 एवं भाग–ख के खता संख्या 137 की कृषि आराजी के वर्तमान जमाबंदी व अन्य राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी (काश्तकार) का नाम राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रेकर्ड संधारण के समय टंकण त्रुटि (सहवन) से कमशः"पेखाराम पुत्र प्रेमाजी पुरोहित" एवं भाग–ख के खाता संख्या 137 की

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज.)

Continue page 2

कृषि आराजी की वर्तमान जमाबंदी मे "पेरवा पि.प्रेमा" अंकित हे जबकि प्रार्थी का सही/वास्तविक व सम्मानजनक नाम "प्रहलादराम पुत्र प्रेमारामजी जाति पुरोहित "निवासी बावली तहसील व जिला सिरोही जमाबंदी ईत्यादि राजस्व रकर्ड मे अंकित होना चाहिये था । प्रार्थी के आधार कार्ड/पहचान पत्र/राशनकार्ड परिवार के भामाशाह कार्ड व प्रार्थी के नाम से ग्राम बावली पटवार हल्का नवारा तहसील व जिला सिरोही मे स्थित नये खाता संख्या 97 व खाता संख्या 136 अन्य खातेदारी कृषि आराजी की जमाबंदी इत्यादि दस्तावेजों मे भी प्रार्थी का नाम " प्रहलादराम पुत्र प्रेमाराम/कजाति पुरोहित " ही अंकित है इस युक्तियुक्त कारण से उक्त वर्णित कृषि आराज की जमाबंदी मे प्रार्थी का सहवन से गलत नाम "पेखाराम पुत्र प्रेमाजी पुरोहित " एवं पेरवा पि. प्रेमा " त्रूटिवश अंकित हो जाने से प्रार्थी के सही वास्तविक व सम्मानजनक नाम "प्रहलादराम पुत्र प्रेमाराम जाति पुरोहित " का शुद्विकरण किया जाकर राजस्व रेकर्ड मे इसका इन्द्राज किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है तथा उपरोक्त कृषि आराजी के अन्य खातेदारान के हितो पर कोई विपरित प्रभाव नही पडता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वर्णित कृषि आराजी की राजस्व जमाबंदी व रेकर्ड मे काश्तकार का नाम के कॉलम मे सहवन से दर्ज गलत नाम "पेखाराम पुत्र प्रेमाजी पुरोहित" एवं "पेरवा पि. प्रेमा " की जगह प्रार्थी के सही/वास्तविक व सम्मानजनक नाम "प्रहलादराम पुत्र प्रेमाराम जाति पुरोहित " का शुद्विकरण कर दुरूस्ती करने के आदेश फरमावें एवं तदनुसार अप्रार्थी संख्या एक को राजस्व रेकर्ड मे संधारण किये जाने के निर्देश दिलावें ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न फर्द दस्तावेजात सूची अनुसार संलग्न राजस्व केम्प मे प्रार्थी द्वारा दिया गया प्रार्थनापत्र मय जांच रिर्पोटठ/शपथपत्र जमाबंदी खाता संख्या 7 136/97/137 की वर्तमान जमाबंदी संवत 2071 से 2074 प्रार्थी का आधार कार्ड राशनकार्ड बैक आफ बडौदा प्रार्थी को चैकबुक इश्यू के पेज की प्रति पैनकार्ड भामाशाह कार्ड की प्रतियों का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तो प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से यह न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ आश्वस्त होने से दिनांक 6–11–2018 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया । जिस पर अप्रार्थी को उक्त नोटिस तामिल होकर इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 18–12–2018 को प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया ।

इस न्यायालय मे विचारण प्रकरण की सुनवाई पेशी दिनांक 25–2–2019 को तहसीलदार /सिरोही ने जरिये पत्र कमांक 10 दिनांक 2–1–2019 के जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया ।

अप्रार्थी तहसीलदार/सिरोही ने अपने जवाब मे कथन किया कि पेखाराम पुत्र प्रेमाजी व पेरवा पि. प्रेमाजी अंकित है जो रेकर्ड अनुसार है लेकिन मौका फर्द एवं उपलब्ध सबूतों के आधार पर पेखाराम व पेरवा पि. प्रेमाजी का सही नाम प्रहलादराम पुत्र प्रेमाजी सही है तथा पेरवाराम व पेखा पि. प्रेमाजी सेवन से आम बोलचाल की भाषा मे होने से पूर्व मे दर्ज हुआ है जबकि वास्तव मे इनके स्थान पर प्रहलादराम पुत्र प्रेमाजी जाति पुरोहित सही है। प्रार्थी के एक खाते मे सही नाम प्रहलादराम पुत्र प्रेमाजी चल रहा है जिसकी खातेदारी की जमाबंदी की नकल संलग्न है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सबूतों आधारकार्ड/राशनकार्ड/निर्वाचन पहचान पत्र/आयकर व पैनकार्ड व भामाशाह कार्ड मे भी प्रहलादराम पुत्र प्रेमाजी दर्ज है जो पूछताछ मे भी लोगो ने सही नाम होना बताया है। प्रार्थी का नाम पेखाराम व पेरवा पि. प्रेमाजी की जगह प्रहलादराम पुत्र प्रेमाजी पुरोहित किया जाने मे अन्य खातेदारान का हिस्सा प्रभावित नही हो रहा है। उपरोक्त समस्त सबूतों के आधार पर वर्णित खातेदारी भूमि जो संयुक्त खातेदारी मे है उसमे पेखाराम पुत्र प्रेमाजी पुरोहित एवं पेरवा पि. प्रेमा के स्थान पर खाता संख्या 137 खसरा नंबर 58 स 62 किता 5 रकबा 4.82 मे हिस्सा व खाता संख्या 7 के खसरा नंबर 548 से 551 व 557 से 561 किता 9 रकबा 7.78 हेक्टेयर मे हिस्सा की भूमि मे शुद्विकरण व सम्मानजनक नाम प्रार्थी का किया जाना उचित बताया है पत्रावली के संलग्न मौका फर्द दिनांक 25–12–2018 के अनुसार पटवारी हल्का नवारा द्वारा दौराने मौका फर्द जांच के वक्ता मौतबिरान के पूछताछ करने पर लोगो ने भी बताया कि वास्तव मे प्रार्थी का पेकाराम पुत्र प्रेमाजी /पेरवा पुत्र प्रेमाजी गलत है जबकि सही नाम प्रहलादराम पुत्र प्रेमाजी जाति पुरोहित है जो कि वास्तविक नाम है प्रार्थी के एक अन्य खाते मे भी प्रहलादराम पुत्र प्रेमाजी दर्ज होना पटवारी हल्का नवारा ने बताया है।

विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 25–2–2019 को वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार/सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार (ना.तह.सिरोही) ने हाजिर होकर विचारण प्रार्थनापत्र अ.धा. 136 एल.आर.एक्ट पर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई ।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उपरोक्त वर्णित कृषि आराजी भाग–क नये खाता संख्या 7 के खसरा नंबर 548/549/550 /551/557/558/559/560 एवं 561 एवं भाग–ख नये खाता संख्या 137 के खसरा नंबर 58/59/60/61 एवं 62 प्रार्थी के कब्जा काश्त व संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि है जिस पर प्रार्थी काश्त कर अपना गुजारा चलाता है। उक्त वर्णित भाग–क के खाता संख्या 7 की कृषि आराज की वर्तमान जमाबंदी व अन्य राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी (काश्तकार) के नाम के कॉलम मे प्रार्थी का नाम "पेखाराम पुत्र प्रेमाजी पुरोहित" एवं भाग–ख के खाता संख्या 137 की कृषि आराजी की वर्तमान जमाबंदी मे "पेरवा पि. प्रेमा" अंकित हे जबकि प्रार्थी का सही/वास्तविक व सम्मानजनक नाम "प्रहलादराम पुत्र प्रेमारामजी जाति पुरोहित "निवासी बावली तहसील व जिला सिरोही है। उपर वर्णित भाग–क के खाता संख्या 7 एवं भाग–ख के खता संख्या 137 की कृषि आराजी के वर्तमान जमाबंदी व अन्य राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी (काश्तकार) का नाम राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रेकर्ड संधारण के समय टंकण त्रुटि

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज.)

Continue Page-3

(सहवन) से क्रमशः"पेखाराम पुत्र प्रेमाजी पुरोहित" एवं भाग–ख के खाता संख्या 137 की कृषि आराजी की वर्तमान जमाबंदी मे "पेरवा पि.प्रेमा" अंकित हे जबकि प्रार्थी का सही/वास्तविक व सम्मानजनक नाम "प्रहलादराम पुत्र प्रेमारामजी जाति पुरोहित "निवासी बावली तहसील व जिला सिरोही जमाबंदी ईत्यादि राजस्व रकर्ड मे अंकित होना चाहिये था । प्रार्थी के आधार कार्ड/पहचान पत्र/राशनकार्ड परिवार के भामाशाह कार्ड व प्रार्थी के नाम से ग्राम बावली पटवार हल्का नवारा तहसील व जिला सिरोही मे स्थित नये खाता संख्या 97 व खाता संख्या 136 अन्य खातेदारी कृषि आराजी की जमाबंदी इत्यादि दस्तावेजों मे भी प्रार्थी का नाम " प्रहलादराम पुत्र प्रेमाराम/कजाति पुरोहित " ही अंकित है इस युक्तियुक्त कारण से उक्त वर्णित कृषि आराज की जमाबंदी मे प्रार्थी का सहवन से गलत नाम "पेखाराम पुत्र प्रेमाजी पुरोहित " एवं पेरवा पि. प्रेमा " त्रूटिवश अंकित हो जाने से प्रार्थी के सही वास्तविक व सम्मानजनक नाम "प्रहलादराम पुत्र प्रेमाराम जाति पुरोहित " का शुद्धिकरण किया जाकर राजस्व रेकर्ड मे इसका इन्द्राज किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है तथा उपरोक्त कृषि आराजी के अन्य खातेदारान के हितो पर कोई विपरित प्रभाव नही पडता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वर्णित कृषि आराजी की राजस्व जमाबंदी व रेकर्ड मे काश्तकार का नाम के कॉलम मे सहवन से दर्ज गलत नाम "पेखाराम पुत्र प्रेमाजी पुरोहित" एवं "पेरवा पि. प्रेमा " की जगह प्रार्थी के सही/वास्तविक व सम्मानजनक नाम "प्रहलादराम पुत्र प्रेमाराम जाति पुरोहित " का शुद्धिकरण कर दुरूस्ती करने के आदेश फरमावें एवं तदनुसार अप्रार्थी संख्या एक को राजस्व रेकर्ड मे संधारण किये जाने के निर्देश दिलावें ।

अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार/सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे जवाब मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि पेखाराम पुत्र प्रेमाजी व पेरवा पि. प्रेमाजी अंकित है जो रेकर्ड अनुसार है लेकिन मौका फर्द एवं उपलब्ध सबूतों के आधार पर पेखाराम व पेरवा पि. प्रेमाजी का सही नाम प्रहलादराम पुत्र प्रेमाजी सही है तथा पेरवाराम व पेखा पि. प्रेमाजी सेवन से आम बोलचाल की भाषा मे होने से पूर्व मे दर्ज हुआ है जबकि वास्तव मे इनके स्थान पर प्रहलादराम पुत्र प्रेमाजी जाति पुरोहित सही है। प्रार्थी के एक खाते मे सही नाम प्रहलादराम पुत्र प्रेमाजी चल रहा है जिसकी खातेदारी की जमाबंदी की नकल संलग्न है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सबूतों आधारकार्ड /राशनकार्ड/निर्वाचन पहचान पत्र/आयकर व पैनकार्ड व भामाशाह कार्ड मे भी प्रहलादराम पुत्र प्रेमाजी दर्ज है जो पूछताछ मे भी लोगो ने सही नाम होना बताया है। प्रार्थी का नाम पेखाराम व पेरवा पि. प्रेमाजी की जगह प्रहलादराम पुत्र प्रेमाजी पुरोहित किया जाने मे अन्य खातेदारान का हिस्सा प्रभावित नही हो रहा है। उपरोक्त समस्त सबूतों के आधार पर वर्णित खातेदारी भूमि जो संयुक्त खातेदारी मे है उसमे पेखाराम पुत्र प्रेमाजी पुरोहित एवं पेरवा पि. प्रेमा के स्थान पर खाता संख्या 137 खसरा नंबर 58 स 62 किता 5 रकबा 4.82 मे हिस्सा व खाता संख्या 7 के खसरा नंबर 548 से 551 व 557 से 561 किता 9 रकबा 7.78 हेक्टेयर मे हिस्सा की भूमि मे शुद्धिकरण व सम्मानजनक नाम प्रार्थी का किया जाना उचित बताया है पत्रावली के संलग्न मौका फर्द दिनांक 25–12–2018 के अनुसार पटवारी हल्का नवारा द्वारा दौराने मौका फर्द जांच के वक्ता मौतबिरान के पूछताछ करने पर लोगो ने भी बताया कि वास्तव मे प्रार्थी का पेकाराम पुत्र प्रेमाजी/पेरवा पुत्र प्रेमाजी गलत है जबकि सही नाम प्रहलादराम पुत्र प्रेमाजी जाति पुरोहित है जो कि वास्तविक नाम है प्रार्थी के एक अन्य खाते मे भी प्रहलादराम पुत्र प्रेमाजी दर्ज होना पटवारी हल्का नवारा ने बताया है। पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे आगे यह भी कथन किया कि उपरोक्तानुसार कृषि आराजी के राजस्व जमाबंदी मे प्रार्थी के त्रुटिवश इन्द्राज गलत नाम की जगह प्रार्थी के सही वास्तविक व सम्मानजनक "प्रहलादराम पुत्र प्रेमाराम जाति पुरोहित नाम का शुद्धिकरण किये जाने पर उपरोक्त कृषि आराजी के अन्य खातेदारान के हितों पर कोई िविपरित प्रभाव नही पडने से प्रार्थी का उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड मे सही नाम इन्द्राज दर्ज किये जाने पर कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया है।

हमने विचारण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली मय प्रार्थनापत्र/जवाब व प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र के संलग्न फर्द दस्तावेज सूची मे वर्णित दस्तावेजात प्रतियॉ यथा राजस्व केम्प मे प्रार्थी द्वारा दिया गया प्रार्थनापत्र मय जांच रिर्पोट/शपथपत्र जमाबंदी खाता संख्या 7 136/97/137 की वर्तमान जमाबंदी संवत 2071 से 2074 प्रार्थी का आधार कार्ड राशनकार्ड बैक आफ बडौदा प्रार्थी को चैकबुक इश्यू के पेज की प्रति पैनकार्ड भामाशाह कार्ड की प्रतियों वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 339 प्रतियों व मिलान क्षैत्रफल की प्रतियों का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तथा वकील प्रार्थी व अप्रार्थी स्टेट पैरोकार सरकार की बहस पर भी गहनतापूर्वक मनन किया । विचारण सम्पूर्ण प्रकरण की पत्रावली का विश्लेषण व प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह पाया कि प्रार्थी के आधार कार्ड/पहचानपत्र/राशनकार्ड/परिवार के भामाशाह कार्ड व प्रार्थी के नाम से ग्राम बावली पटवार हल्का नवारा तहसील व जिला सिरोही मे स्थित नये खाता संख्या 97 व खाता संख्या 136 अन्य खातेदारी कृषि आराजी की जमाबंदी इत्यादि दस्तावेजों मे भी प्रार्थी का नाम "प्रहलादराम पुत्र प्रेमाराम जाति पुरोहित " ही अंकित है इस युक्तियुक्त कारण से वर्णित कृषि आराजी की जमाबंदी मे प्रार्थी का सहवन से गलत नाम "पेखाराम पुत्र प्रेमाजी पुरोहित "एवं "पेरवा पि. प्रेमा " त्रुटिवश अंकित हो जाने से तथा उक्त नामान्तकरण संख्या 339 की प्रति मे भी प्रार्थी का गलत नामा पेकाराम पुत्र प्रेमाजी दर्ज होने तथा मिलान क्षैत्रफल अनुसार भी पुराने खसरा नंबर सही होने से प्रार्थी के सही वास्तविक व सम्मानजनक नाम "प्रहलादराम पुत्र प्रेमाराम जाति पुरोहित का शुद्धिकरण किया जाकर राजस्व रेकर्ड मे इसका इन्द्राज किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। उक्त वर्णित उपरोक्त कृषि आराजी के राजस्व जमाबंदी मे प्रार्थी के त्रुटिवश इन्द्राज गलत नाम की जगह प्रार्थी के सही वास्तविक व सम्मानजनक "प्रहलादराम पुत्र प्रेमाराम जाति पुरोहित नाम का शुद्धिकरण

उपखण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज०)

Continue Page-4

किये जाने पर उपरोक्त कृषि आराजी के अन्य खातेदारान के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा तथा पैरोकार सरकार ने भी अपनी बह समे कृषि आराजी के राजस्व जमाबंदी मे प्रार्थी के त्रुटिवश इन्द्राज गलत नाम की जगह प्रार्थी के सही वास्तविक व सम्मानजनक ''प्रहलादराम पुत्र प्रेमाराम जाति पुरोहित नाम का शुद्धिकरण किये जाने पर उपरोक्त कृषि आराजी के अन्य खातेदारान के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडने से प्रार्थी का उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड मे सही नाम इन्द्राज दर्ज किये जाने पर कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया है।उपरोक्त प्रार्थी के गलत नाम की त्रुटि लिपिकीय त्रुटि की परिभाषा मे आने से न्यायहित मे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है अन्यथा प्रार्थी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होने के साथ ही भविष्य उक्त प्रकरण मे कानूनी उलझने पैदा होने से प्रार्थी को मानसिक तनाव व आर्थिक नुकसान भी होने की पूर्ण सम्भावना है।

अतः उपरोक्त सभी आधारों पर प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार, सिरोही का वास्ते राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राजात/दुरूस्ती करवाने का न्यायहित मे स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार, सिरोही) को आदेश दिया जाता है कि ग्राम बावली पटवार हल्का नवारा तहसील सिरोही जिला सिरोही मे स्थित वर्णित कृषि आराजी भाग–क नये खाता संख्या 7 के खसरा नंबर 548,549,550,551,557,558,559,560 एवं 561 एवं भाग–ख नये खाता संख्या 137 के खसरा नंबर 58,59,60,61 एवं 62 प्रार्थी के कब्जा काश्त व संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि है की वर्तमान जमाबंदी के काश्तकार का नाम के कॉलम मे सहवन से दर्ज गलत नाम ''पेखाराम पुत्र प्रेमाजी पुरोहित ''पेरवा पि. प्रेमा''की जगह प्रार्थी के सही, वास्तविक व सम्माजनक नाम ''प्रहलादराम पुत्र प्रेमाराम जाति पुरोहित ''का शुद्धिकरण कर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त संधारण कर पालना रिर्पोट एक माह मे इस न्यायालय को भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें । निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

लैण्ड रेकार्ड ऑफिसर (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही (राज०)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 3–7–2019 को मेरे हस्ताक्षर, पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ)
सिरोही

लैण्ड रेकार्ड ऑफिसर (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही (राज०)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सिरोही (राज०)